

साक्षीपत्र समूहि – पत्र

- 1– संस्था का नाम : आशुलोप शिक्षा एवं सेवा संस्थान।
 2– संस्था का पूर्ण पता : 15-H कैलाशकुंज, दाउदपुर
 चारूपन्दपुरी कालोनी के पीछे
 गोरखपुर।
- 2क शाखा कार्यालय : बौसगांव, गोरखपुर।
- 3– संस्था का कार्य क्षेत्र : सापूर्ण भारत वर्ष
- 4– संस्था का उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-
- (1) शिक्षा सम्बन्धी कार्य :-
- (अ) यात्रक व बालिकाओं के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के लिये प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय तक तक के नये – नये विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना जिससे प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऐनेजमेन्ट की शिक्षा तकनीकी शिक्षा, विफित्सा शिक्षा की व्यवस्था करना। गिरजाएँ क्षेत्रों के विकसित विद्यालयों के प्रगति के लिए प्रयास करना। संगीत शिक्षा की व्यवस्था करना।
- (ब) बालक एवं बालिकाओं के लिए यात्रगृह, बाल विकास केन्द्र, बाल कल्याण केन्द्र, छात्रावास आदि खोलकर समालन करना।



कम्प्युटर शिक्षा :

यात्रक एवं बालिकाओं को स्वरोजगार हेतु कम्प्युटर शिक्षा से सम्बन्धित साप्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर आम निर्भर बनाने का प्रयास करना समाजके कमज़ोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्गों के उत्थान हेतु निःशुल्क कम्प्युटर शिक्षा की व्यवस्था करना।

Om Prakash

(Signature)

Sunita Singh
डोकीत २०८८

- (3) साक्षात् शिक्षा, अनीपचारिक शिक्षा एवं अंगनवाड़ी कार्यक्रमः
 राष्ट्रीय साक्षरता निशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तक एवं महिलाओं तथा यात्रक-बालिकाओं को साक्षर बनाना तथा निम्न तरफ से लेकर उच्च तरफ तक की शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अलावा व्यापाराधिक शिक्षा की व्यवस्था करना जिससे निर्यान तथा बेरोजगार व्यवसित अपने कुटीर उधोग धरे स्थायं स्थापित कर सके। राज्य सरकार हारा अयोजित ग्रीष्म शिक्षा, अनीपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में सहयोग देना तथा प्रशार – प्रसार करना।

4–पुस्तकालय व बालनालय की स्थापना :-

व्यापिताओं के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय तथा बालनालय की स्थापना तथा संचालन करना।

*महाविद्यालय विद्यालय
 हेतु डोकाहटीव तथा निःशुल्क
 उच्च व लोकालय*

5—आवासीय योजनाओं का निमांज एवं संचालन :-

राज्य के अधिक उप के व्यवस्थाएं तथा नियंत्रण कर्म के ... जिनमें के लिए आवास /
मूल्यांक की सुविधा उपलब्ध करना ।

6—सामाजिक, रांगकृतिक तथा आर्थिक विकासार्थ कार्य :-

अन्तर्राष्ट्रीय समुदायित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिघड़ी जाति तथा समाज के जीवन
व्यवसियों के सामाजिक, रांगकृतिक उपलब्ध में सहायक विभिन्न कल्पनागतीय योजनाएं
दफनाना एवं विभिन्न संचालन करना । समय समय पर संरक्षित कार्यक्रम, विद्यार्थीय
, सेमिनार, पत्र प्रतिक्रियाओं का नियुक्त प्रकाशन करना । महिला सम्मेलन, बाल सम्मेलन,
वाद—विचार प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन करना । जनता के लिए सामाजिक,
संरक्षित, सर्वार्थीक, आगमनीक पर्यावरण कार्यकर्त्ता यी व्यवस्था करना ।

7—विकासांगी के सहायतार्थ कार्य :-

विकासांगी की स्वावलम्बी बनाने में उनकी मदद करन् तथा उनके लिए कृतिम
आगों, द्राई रायाहिल, श्रवणयन्त्र आदि को नियुक्त उपलब्ध कराते हुए उन्हे रोजगार के
विभिन्न कार्यों में लगाना जिससे वे अपनी जीविका स्वयं चला सके । विकासांग व्यक्तों के
विकासांग व्यक्ति उन्हे रामुचित शिक्षा देने हेतु आवासीय विकासांग विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र
विद्यालय, व्यवस्था करना तथा राज्यसरकार, भारतसरकार के सहयोग से कार्यकर्त्ता को
संचालित करना । मंद बुद्धि वाल विद्यालय की स्वावलम्बी करना ।

8—महिलाओं के कल्याणार्थ कार्य, प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम :-

(अ) — महिलाओं एवं वालिकाओं को काम्प्यूटर, रेडियो, टीवी, टिलाई, कपड़ाई, कुनौदी,
बैड़न डिजाइन, टाइपिंग, साईट हैंड, पाय़द उद्योग, अग्रवाली, गोमदली, आवार पुराना
आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हे आवासीय विभिन्न तथा बैठेजगार नहिलालों को रोजगार हेतु
विभिन्न योजनाओं के माध्यम से साम पर्याप्त तथा योजनाओं का संचालन करना ।

(ब) — जलसंग्रहालय वैरोजगार विभागित, असहाय, निर्भीन तथा अत्याधार के लियार
महिलाओं व वालिकाओं के लिए वीडियो कार्यक्रम, विकिसा हास्टल, सुधारपूँछ
जागरूकता शिविर, तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र तथा समुचित सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम
विस्तार ।

9—परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम :-

(क) — परिवार एवं बाल कल्याण कार्यक्रम को ध्यान में लापक स्तर पर संचालित
करना, व्यक्तों के टीक्काकरन के लिए राहयोग प्रदान करना तथा महामारी के समय में
जनता की मदद करना । सानव कल्याण हेतु हर प्रकार की विकिसा स्वास्थ्य सम्बन्धी
कार्यकर्त्ता का नियुक्त संचालन करना । बैंसर, टी० औ० कुष रोग आदि वीमारियों के
सेक्षण हेतु व्यक्ति सम्बन्धी प्रयोग करना ।

(ख) — रेडकार सौराहटी वी योजना गे कन्या से कन्या विलालर जनसाधारण की
सहायता करना । धनीभ विकिसा सम्बन्धी का निमांज करना ।

(ग) — नियुक्त रजस्ट्रान विविर तथा दृष्टिहीनता को दूर करने हेतु नियुक्त नेत्र
ज्योति शिविरों का आयोजन करना ताक जनसाधारण को हर तरह से सुविधा पुढ़ेगा
करना ।

संसदीकृत राज्यसभा
मध्ये रोजगारीय तथा विद्या
केन्द्र और रोजगार

10—पद निषेध तथा छुआधूत कार्यक्रम :-

सभाजन में चारों छुआधूत त्रुट वीच तथा जाति वर्ण की विषयता को दूर करने के लिए व्यापक प्रधार प्रसार करने का कार्यक्रम बनाया। गवाक वदार्थी का नाश करने याती, जी सत छुड़ाने के लिए गरजार को सहयोग करना। गोष्ठी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर वादक पदार्थी के विस्तृद्वयापक उभ जागरण करना। यदा एवं वादक पदार्थी को सेवन करने वालों की सत छुड़ाने के लिए विकिस्तकों की बदल से घमार्ह अरपत्राल का नियार्थ करना। निरुत्तल इताल की व्यवस्था करना। गतीन जरियाओं की समाई की व्यवस्था फरना।

11—पर्यावरण य वृक्षारोपण कार्यक्रम :-

(क)-पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। नदियों में गम्भे नाले को यानी एवं काशे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाया तथा उसका संचालन करना।

(ख)-पर्यावरण की रक्षा के लिए सोनों को जागरूक करने हेतु विधार गोष्ठी तथा जन वृक्षारोपण यात्रा आदि कार्यक्रम आयोजित करना। यूप, विविध लक्नवीकियों को वृक्षों सहर पर सुखम करना जिससे पर्यावरण को बढ़ावा दित राहे।

(ग)-पीलीधीन के दुष्प्रभाव से सोनों को अवगत करने हुए पीलीधीन के प्रयोग द्वारा हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर व्यापक प्रधार प्रसार करना।

एवं एवं छात्राओं के लिए स्पोर्ट्स गिरावट या महाविद्यालय सोसायटी का प्रयास करना। सभी प्रकार के खेलों के प्रति अभिभवि पैदा करने के लिए डिलाइडों को प्रतिषिद्ध करना तथा संस्था के नाम से खेलने के मैदान डिलाइड आदि का निर्माण करना तथा खेल प्रतियोगिताओं का राज्य एवं जिला सहर पर आयोजन करना। डिलाइडों के मनोवृत्त को जैव उठाने के लिए पुरस्कार वितरण की व्यवस्था करना।

12—खादी एवं ग्रामोदय कार्यक्रम :-

गोष्ठी विकार के आधार पर खादी ग्रामोदय द्वारा संचालित सभी विनम्र के उत्तोगों का संचालन करना, रचनात्मक कार्यी की प्रशिक्षण वी व्यवस्था करना। खादी ग्रामोदय, खादी कलीशन, खादी बोर्ड स्लैन्स तथा नियमनुसार सभी प्रकार की आर्द्धक राहगायत्रा, अनुदान प्राप्त कर लाए एवं कुटीर उत्तोगों की स्वत्तपन्न करना तथा नियमित रूप से संस्था के गायब से कार्य संचालित करना तथा इनसे दाय प्रवरारितों को संस्था के उद्देश्यों की पृति में व्यय करना।

13—ग्रामांशों का विकास, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, तथा वाल विकास कार्यक्रम :-

(छ)-हिन्दी सहित अन्य भाषाओं के विकास के लिए संस्था द्वारा प्रधार प्रसार करना।

(छ)-दोनों प्रथा, अन्य विस्तार एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।

*लक्ष्मण रामस्वामी
मन्त्री बोर्डार्टीच तथा विद्यु
विकास वा व्यवस्था*

(ग) - यात्रा विकास व यात्रा विकास ट्रस्ट यूनिसोफ तथा अन्य सरकारी गैर सरकारी व समाजिक संस्थाओं के माध्यम से सहयोग प्राप्त करना तथा विभिन्न लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना ।

15-विश्व रान्ति, मानवता व मानवाधिकार कार्यक्रम :-

महाराष्ट्र कुद्द के सिद्धान्तों पर भलते हुए जन मानस के लिए शान्ति, अहिंसा, भाईचारा राखीर्म एकता तथा देश की अखण्डता के प्रति जानता को जागरूक करना । विश्व शान्ति व मानवता के लिए मानवाधिकार संगठन को सहयोग देना तथा करना से कृत्या निलकर उसके साथ कार्य करना ।

16-छात्रावास व धर्मशाला का निर्माण :-

नियन्त्रित तथा कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण करना व उनकी व्यवस्था का संचालन करना । देश - विदेश से आये विद्यार्थियों, बीड़ विद्युतीय, व्यापारियों व किसानों को उन्हें हेतु धर्मशाला का निर्माण करना व उसकी व्यवस्था का नियुक्त संचालन करना ।

17-कृषि विकास, कृषक उत्पादन व पशुपालन कार्यक्रम :-

कृषि विकास चागवानी, फस रोपण तथा घृणकों हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करना व विरोपणों के अव्युक्तिमत्तम शोष को कृषकों तक पहुँचाना । पशुपालन, खेती पालन, मुग्गी पालन, रेशन पालन से सम्बन्धित राशी योजनाओं की जानकारी देना तक पहुँचाना तथा इनमें फैलने वाली वीमारियों की रोकथाम हेतु समय तक पर टीकाकरण तथा विधिवासी सुविधा की जानकारी देना व सरकारी तथा सरकारी संगठनों के माध्यम से सहयोग दिलवाते हुए प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन करना । भूमि खुगार हेतु कार्य करना तथा उसके भूमि खुगार कार्यक्रम चलाना ।

18-प्राकृतिक आपदा :-

बाढ़, जागलनी, भूकम्प, सूखा, बैंजा, देवेन आदि देवित आपदा से लीडिंग व्यक्तियों की सहायता करना तथा उनके पुनर्वास एवं जीवन यापन के लिए सहयोग करना तथा विभिन्न प्रकार की महामारी की रोकथाम के लिए प्रशासन के साथ फ्रेंड्स से कान्चना विलक्षण जन सकारात्मकी हर तरह से सेवा करना तथा सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाने वे सहयोग करना ।

19-हस्त कला राम्भना कार्यक्रम :-

हस्त कला के क्षेत्र में ग्रामीण नहिलाओं व बालिकाओं व युवकों को हस्त कला का प्रशिक्षण देना तथा हस्तकला से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करना ।

20-जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम :-

संयुक्त राष्ट्र संगठन, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करते हुए जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में व्यक्तियों को जागरूक करना ।

महाराष्ट्र राज्य नियन्त्रण
कार्यक्रम विभाग
१०० नं. नोटरेक्टर

21-जीव जन्मुओं के कल्याणार्थ कार्य :-

(क)-जीव जन्मुओं के संरक्षण हेतु कार्य करना तथा उनके लिए उन विहार की व्यवस्था करने या प्रयास करना ।

(ख)-गो सेवा की मान्यता के अनुसार कार्य करना ।

(ग)-जीव जन्मु हेतु समस्त प्रकार के कार्य करना ।

(घ)-जीव-जन्मु कल्याणी बोर्ड से जीव-जन्मुओं के कल्याणार्थ योजनाओं हेतु आयोगन करना तथा सहायता प्राप्त कर उन्हें भौतिक रूप से केव्र में लागू करना जिससे जीव-जन्मुओं की रक्षा हो सके ।

(ङ)-जीव जन्मुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना ।

(च)-जीव जन्मुओं के प्रति कुरता के दृष्टिकोण से बदलना जिससे लोगों के अन्दर जीव-जन्मुओं के प्रति दया भाव पैदा हो ।

(छ)-जीव जन्मुओं के प्राकृतिक निवास स्थलों को नष्ट होने से व्याप्त तथा उनके क्षति पहुँचानेवालों से बचाना जिससे उनके प्रजनन तथा सूजन में किसी प्रकार की चाहा उपचार न हो ।

(ज)-पन्च जीवों के कल्याणार्थ कार्य करना तथा उनके अभ्यारणों के क्षति को बचाना तथा उनके क्षति पहुँचानेवालों को सरकारी नियमों के अधीन दण्डित करने की कार्यवाही करना ।

(झ)-लायारिश पशुओं, कुत्तों, बिल्डियों, नीलगाय आदि को समुचित संरक्षण प्रदान करना तथा साथार, बीमार जीव-जन्मुओं के दबा आदि का प्रबन्ध कर रखना पर उन्हें प्राकृतिक रूप से जीवित करने के लिए यथावत प्रबन्ध करना ।

(ঠ)-जीव जन्मुओं के दबा आदि के लिए निशुल्क भ्रस्तात्मक आदि की व्यवस्था करना ।

(ড)-জগহ-জগহ पर जनसामाजिक सहयोग से पशुओं जैसे निराकित गाय, बैल, बीस-बीस, घटड, कुत्ता, बिल्डियों के निवास स्थल का निर्माण करना जिससे लायारिश य असाधाय पशुओं को रखा जा सके तथा उन्हें समुचित रूप से दबा आदि का प्रबन्ध हो सके ।

(ঢ)-সরকার/জনসামাজিক के सहযোগ সে বদলি মাত্তাহার কী প্রযুক্তি পর অঙ্কুশ লগানো কা প্রয়াস করনা তথা বড়ী কুরতা কী দৃষ্টিকোণ নে বদলাব হেতু সাকার প্রয়াস করনা ।

(ঔ)-জীব-জন্মুओं के कल्याणार्थ विचार पैदा करन हेतु जগহ-জগহ पर गोष्ठियों का आयोजन करना ।

(খ)-পশুওঁ দ্বারা কুস্তা, বিল্ডী, বিয়ার, বেঁদর আদি কে কাটনে পর পতিরোধক দয়া কা প্রযোগ করনা ।

(গ)-জীব-জন্মুओं के निवास हेतु सरकार से भूमि प्राप्त करना तथा उसे संरक्षित করনা তথা জানপর্য কী প্রাকৃতিক রূপ সে পার্ক কী প্রবন্ধ করনা ।



मुख्य
मंत्री
उपकार्यकालीन
मंत्री

Sunita Singh
मुख्यमंत्री
झারখণ্ড

মুখ্যমন্ত্রী
মুখ্যমন্ত্রী
মুখ্যমন্ত্রী

(८)—जीव—जन्मुओं परमुओं के प्रति किए गये अत्याचारों के लिए न्यायालयों में वालों की पैरती करना तथा उनको दण्डित करने में सरकार को सहायता प्रदान करना ।

(९)—जीव जन्मुओं के प्रजनन केन्द्रों को नष्ट करने वालों के प्रति कार्यवाही करना तथा कष्ट करने वालों को दण्डित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना ।

(१०)—गोवंश के समृद्धि के सभी प्रकार के प्रयास करना तथा जनसत्तारण के उत्पादकार्यक हेतु परमुओं, जीव—जन्मुओं के भेसी का आयोजन करना ।

(११)—प्रतिबन्धित परमुओं की अधिक हस्या तथा पर्यावरण नियंत्र पशु पक्षियों के सम्यक रखकर का उपयोगान्वयिक, प्राचारिक शासन स्तर से तालमेल बैठाकर करना ।

(१२)—सभी शीघ्रालयों का जीर्णोद्धार व आवश्यकता होने पर नई गोशाला का नियान करना तथा सरकार की स्थेत कान्ति में पूरा सार्थक सहयोग करना ।

(१३)—परमुओं का चारा समर्पणों के समाप्तान हेतु धान की नई अनुसंधान, नई प्रजातियों या सर्वनान प्रजातियों में अधिक उत्पादन वाली प्रजातियों पर अनुसंधान ।

(१४)—जीव—जन्मुओं के सभी रामरस्याओं के समाप्तान हेतु गन्ना की ऐसी प्रजातियों एवं पैदावार की तकनीक विकसित करने, गन्ना कृषक के स्तर के तर्वारीण विकास एवं ऊसर भूमि सुधार करना ।

(१५)—उत्पादन एवं सबली उत्पादन, धान और एवं अन्य कृसली के क्षेत्र में नई एवं प्राचीन तकनीक विकसित करने, गन्ना कृषकों के स्तर की ऊचा उठाना तथा कृषकों अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने एवं विकसित विधियों की खोज एवं नेतृत्वी विकास के क्षेत्र में स्थापनाएँ बनाने का प्रयास करना ।

(२२) अद्यतनाम् :-

(१) विद्यान व प्रौदीगिक पर अध्यारित केन्द्र व शास्त्र सरकार के कार्यकार्यों की संस्था के माध्यम से संचालित करना ।

(२)—शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित शौचालय मुत्रालय, स्नानघर, इण्डिया मार्क इन्डप्रेस आदि की व्यवस्था कर सोगों को जीवन स्तर में सुधार करते हुए जगह—जगह रासाई की व्यवस्था का ध्यान रखना ।

(३)—मुख्यों व मुख्यियों में समाज सेवा, देश सेवा, दाम सेवा, सदाचार, कर्तव्य, परायनाता, आत्म विश्वास स्थापन तथा भाई धारे की भावना जागृत करना ।

(४)—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, कलंजोर एवं पिछड़े गये की मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे लगे एवं सीमान्त कृषकों, भूगिरीनों, गजदूरों एवं ग्रामीण हस्तकारों को स्वतः रोजगार कराने हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना ।

(५)—सरका द्वारा शाखा कार्यालय, उपकार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत दर्पण की लिती भी याद या शहर में खोलकर उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य विना जायेगा ।


राजा भूपिंदेर सिंह
राजा भूपिंदेर सिंह

a) अत्परांखण कर्म के महिलाओं, वालिकाओं, युवकों को भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से विद्यालयों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था कर उन्हें शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।

23) राजक सुरक्षा हेतु कार्यक्रम :-

सहक सुरक्षा विधानों एवं यातायात के विधानों का पालन करने हेतु शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना जिससे सहक दुर्घटनाओं में कभी आ सके तथा इससे सम्बन्धित जलोपयोगी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना।

24) 1- वैशिक व उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन एवं शिक्षा का प्रचार व प्रशार।

2- शिक्षा के विकास हेतु स्कूल, पाठ्यालय तथा कालेज स्थापित करना एवं उनका प्रबन्ध करना।



3- विधायी छात्रों के प्रोत्साहन एवं सहायता हेतु अन्वर्तितां देजा और अन्य प्रकार की सहायता देना।

4- विधाय तथा विधायित व्यक्तों के विशुलक विवास, भोजन एवं शिक्षा प्रबन्ध हेतु अन्यायालय या अद्य प्रकार की सहायता।

5- विशुलक विधायित व्यक्तों के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना।

6- अन्य शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण संस्था को सहायता हेतु गवर्नर

Sunitasingh देना।

7- गाँधि, नगर तथा कर्मों गे आवश्यकतावृत्तार प्रेयजल की सुधिधा के अभियान लिए हेण्डप्रम्प, व्याऊ या अन्य प्रकार की व्यवस्था करना।

8- विधायितों, अपांग तथा अत्यन्त विर्द्ध व्यक्तियों की सहायता और पुरुषारा ती व्यवस्था करना।

9- पर्मशाला इत्यादि का निर्माण तथा उसके रठरठात वी व्यवस्था करना।

10- अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन तथा सहायता देना।

11- भूमि सुधार हेतु कार्य करना तथा उत्तर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना। क्लिट, विस्तार एवं प्रशिक्षण, भूमि विस्तार, परती भूमि विकास, जल संधर्ह प्रबन्ध संबंधी समस्त कार्यों को करना।

25) महिलाओं के कल्याणार्थ कार्य, प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम -

क) महिलाओं व वालिकाओं को उम्म्यूट, डिल्सो, टी०गी०, रिलाई, काढाई, बूजाई, फैशन डिजाइनिंग, टाइपिंग, *महिला हेण्ड*, पायड

महिला राजस्थान
मर्यादितीय तथा विद्यु
१०८० व० नोरवडुर

उद्योग, अजरस्वाती, गोमवती, अधार, मुख्या तथा पहल संरक्षण आदि का प्रशिक्षण देवार उद्दे आगरामीर तथा बेरोजगार जटिलाओं को रोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं के गार्यम से लाभ पहुँचाना तथा योजनाओं का संचालन करना। स्वयं सहायता समूह बनाकर जटिलाओं में रामाजिक संरक्षित एवं शैक्षिक विकास करना एवं उद्दे स्थानकी बातों हेतु आवश्यक प्रयत्न करना। गामीण क्षेत्र के गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, अल्पसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के लोगों के आर्थिक, रामाजिक शैक्षिक विकास के लिए कार्य करना। यात्र अवृद्धाम, चंदा आदि द्वारा यात्र विकास के लिए सभी प्रकार के कार्य करना एवं विभिन्न कार्य करना।

- अ) जलसंग्रह बेरोजगार विसंग्रह, असाधाय, विधान तथा अत्याधार के विकास जटिलाओं व यातिकाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, विकल्प, हास्टल, सुधार वृह, जागरूकता विविर, तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, स्वयं सहायता समूह तथा रामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम चलाना।

26) जागरूकता सम्बन्धी कार्य :-

जागरूकता सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत प्रशिक्षण, अभियान तथा सूचना-सामग्री तैयार कर उत्कृष्ट वितरण करना इत्यादि कार्यों से जागरूकता सम्बन्धी कार्यों को करना।

Sunita Singh
आगित दिनों
रामनन्दी कार्य :-

यह सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत कार्य अप्यान करना तथा रामाजिक यातिकी जैसे कार्यक्रमों को करना।



रामनन्दी कार्य :-

यह सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह कार्यक्रमों का संचालन, स्वयं सहायता समूहों द्वारा उपादित तानालों को विपणन के लिए शो-लग की स्थापना, संचालन, स्वयं सहायता समूहों के द्वारा ट्रेविंग संविधित कार्यों को करना, गामीण स्वरोजगार के अन्तर्गत कार्यक्रमों को करना जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सके। याम सम्बन्धित तथा गामीण स्वरोजगार से संबंधित समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना।

29) गांवी (एगर) विकास सम्बन्धी कार्य :-

गांव विकास के लिए सरकार के द्वाय संवालित समस्त कार्यों को

बहुमत रामनन्दी
अप्यौगिक नाम विद्।
५१-इ-१ दोरसदुर

रांचित करना, प्रधार-प्रसार करना, प्रिंटिंग संबंधित कार्य करना तथा शहरी जगत विकास से सम्बंधित समस्त कार्यों को करना।

30) ग्रामीण आवास का निर्माण :-

ग्रामीण आवास के अन्तर्गत कम कीमत के जमानों का निर्माण संबंधित कार्यों को करना, विपक्षि प्रवक्ष्यता समस्त कार्यों को करना आदि।

31) सूखना विस्तार सम्बन्धित कार्य :-

सूखना विस्तार सम्बंधित कार्य के अन्तर्गत प्रयोग का दर्शानीकरण, प्रकाशन, ग्रीडिया-समर्थन, सूखना प्रौद्योगिकी संबंधित कार्यों का संचालन करना इत्यादि।

32) ग्रामीण प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य :-

ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यों के अन्तर्गत शेष हेतु व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विवाच्यन, गैर परम्परागत ऊर्जा खोत संबंधित कार्य तथा प्रौद्योगिकी स्थावान्तरण संबंधित समस्त कार्यों को करना।

33) आय सृजन सम्बन्धित कार्य :-

ग्रामीण महिलाओं को केवल में रखकर आय सृजन हेतु स्वयं सहायता समृद्ध, सम्बन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, ग्रामीण के लोकदान संबंधित कार्यों तथा उत्तराभियात समस्त कार्यों को जगत में भी संचालित करना।

34) पेयजल एवं स्वच्छा सम्बन्धित कार्य :-

पेयजल के अन्तर्गत जलापूर्ति, परम्परागत जल प्रणाली संबंधित कार्यों तथा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कार्यों को संशोधित करना। स्वच्छा के अन्तर्गत शौचालयों (व्यक्तिगत तथा प्रौद्योगिक) का विर्गाण करना, संचालन करना, स्वच्छता बाजार संबंधित कार्यों को करना।

35) विषणन सम्बन्धित कार्य :-

शहरी तथा ग्रामीण उत्पादों का विषणन कार्य करना, उससे हुई समस्त आय को संख्या के अद्देश्यों की पूर्ति में लगाना। शहरी तथा ग्रामीण उत्पादों के विषणन के लिए प्रदर्शन एवं गेलों का आयोजन करना आदि।

लहान राजस्थान
कार्य नोकाइटीव तथा विद्यु
१०० का बोरडप्लाटर

36) पंचायती राज सम्बन्धित कार्य :-

विकेन्द्रीकरण में सरकार को सहयोग देना तथा पंचायती राज के अन्तर्गत ग्रामों का सामूहिक रूप से सफाई इत्यादि के कार्यों को करना तथा पंचायती राज को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता संबंधित समस्त कार्यों का संचालन करना।

37) लोक सहयोग :

लोक सहयोग के अन्तर्गत समस्त कार्यों का संचालन करना।

38) ग्राम सम्पर्क सङ्करे :-

ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु ग्राम सम्पर्क मार्गों का निर्माण करना इत्यादि।

39) उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धित कार्य :-

उपभोक्ता संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत उपभोक्ता न्यायालयों के पास उपभोक्ता संरक्षण केन्द्रों, परामर्श केन्द्र आदि की स्थापना कर संचालन करना।

40) अन्य कार्य :-

Jan Kalyan Jay.

*Jan
Bhakti
Yojana*



1. प्रकृति परायण जीवन शैली के विभिन्न आयामों—सन्तुलित पर्यावरण, सम्बन्धित कृषि, सर्वशिक्षा, सम्पन्न स्वास्थ्य, वैदिक रचना विकास व ऐत्यानीय तकनीकी ज्ञान आदि के संरक्षण, संवर्धन व विकास हेतु योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना।
2. नेतृत्व स्वावलम्बन जनित विकास हेतु विविध तकनीकी एवं वैज्ञानिक, वैदिक विद्याओं, पर शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, परिचर्चा आदि माध्यमों से क्रियान्वयन करना।
3. जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, जैव तकनीक, देशी वीज, प्राकृतिक जल संसाधनों का संरक्षण व विकास हेतु कार्य योजना जन—सहभागी एवं समाज उपयोगी विकास का अनुबर्ती प्रयत्न करना।

*नामांकित राष्ट्रपत्राः
ग्रन्थ तोषाहटीक तथा चिठ्ठा
५५ दिन बोरक्युर*

4. गो—आधारित ग्रामीण व नगरीय सतत् विकास प्रबन्धन गोशाला एवं गो उत्पादों का प्रति—स्थापन, प्रसंस्करण, व प्रदर्शन, प्रसार, प्रचार आदि का कार्य करना।
5. बेहतर जीवन पद्धति, सर्वाभीण विकास व ग्राम स्वराज के लिए विभिन्न विभागों, संस्थाओं, समाज सेवियों के सहयोग एवं सानिध्य से औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तकनीकी विकास का योजनाबद्द कार्यक्रम एवं प्रयास।
उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जन उपयोगी एवं समाज विकासोन्मुख साहित्य, पत्र—पत्रिका एवं प्रसार सम्बन्धी प्रकाशन।



- 41) भारतीय पंजीकरण अधिनियम 21, सन 1860 की धारा 20 के अन्तर्गत वर्णित सभी कार्यों का करना।
- 42) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन एवं विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, युवा एवं योव्यवस्था विभाग, सरकारी अर्द्धसरकारी, साहकारी, सादी कमीशन बोर्ड यमर्क्ष, सादी बोर्ड, उम्प्रो, लखनऊ, नावार्ड, राष्ट्रीय महिला कोष, महिला आयोग, अल्पसंख्यक विभाग, गैर सरकारी संस्थाओं से अनुदान, दान, घन्दा या ऋण प्राप्त करना तथा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा जनहित में लिये गये निर्णयों को संचालित करना।

*Ch
Binita Singh
मौलिक धर्माभिष्ठा*

